ओलंपिक खेलों में भी मिल सकती है योगासन को जगह

- खिलाड़ियों को मिला प्रधानमंत्री मोदी का संदेश
- विश्व योगासन चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ

नई दिल्ली, 04 जून. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए योगासन को खेलों का एक महत्वपूर्ण पक्ष बताया. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में योगासन अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं और ओलंपिक जैसे मंचों पर भी अपनी जगह बना सकता है.

भारत की प्राचीन योग परंपरा को वैश्विक खेल मंच पर नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अहमदाबाद में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का वर्चुअल उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने योगासन को खेलों का एक महत्वपूर्ण आयाम बताते हुए कहा कि यह केवल स्वास्थ्य और फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में एक बड़े स्पर्धात्मक खेल के रूप में भी उभर सकता है. प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व योग दिवस से पहले आयोजित यह चैंपियनशिप लोगों के स्वास्थ्य और जागरूकता के लिए 'डबल डोज' की तरह है. उन्होंने योगासन को भारत की

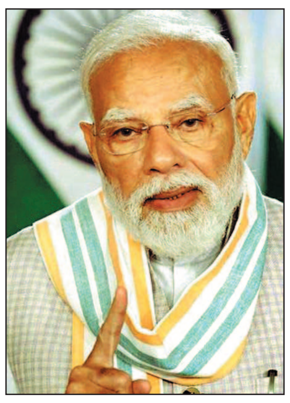

सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बताते हुए कहा कि हर जीवंत परंपरा समय के साथ नए चरण में प्रवेश करती है और यह विश्व चैंपियनशिप उसी परिवर्तन की शुरुआत है.

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यदि निरंतर प्रयास किए जाएं तो भविष्य में योगासन को ओलंपिक और अन्य बहु-खेल आयोजनों में भी स्थान मिल सकता है. अन्य बड़े खेल अपने साथ रोजगार, प्रशिक्षण और अवसरों का पूरा इकोसिस्टम लेकर आते हैं, उसी तरह योगासन का विस्तार भी खिलाड़ियों और युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा. इस अवसर पर उन्होंने आयुष मंत्रालय के 'योग 365' अभियान का उल्लेख करते हुए प्रतिभागियों से अपने-अपने देशों में योग के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से योग के वैश्विक दूत बनने और पूरे वर्ष योग को जन-जन तक पहुंचाने में योगदान देने की अपील की.

मोदी की सिटी ग्रुप चेयरपर्सन जेन फ्रेजर से की मुलाकात

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिटीग्रुप की चेयरपर्सन और सीईओ जेन फ्रेजर से मुलाकात की. बैठक में भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, निवेश अवसरों, वैश्विक पूंजी प्रवाह और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने पर विस्तृत चर्चा हुई.इसकी जानकारी गुरुवार को सामने आई. प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में अपने विजन को साझा करते हुए आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने, भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजारों में विस्तार के अवसर प्रदान करने और देश में विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया. सिटी ग्रुप की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कंपनी भारत के आर्थिक एजेंडे को मजबूत बनाने, वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और भारतीय कंपनियों को नए बाजारों में पहुंच बनाने में सक्रिय योगदान देना चाहती है.जेन फ्रेजर के साथ सिटी इंडिया के सीईओ के. बालासुब्रमण्यम भी मौजूद रहे.

यूरोप में 3 सालों में एचआईवी के 80 हजार नए मामले आए सामने

ब्रूसेल्स 04 जून. यूरोप में अगले तीन वर्षों में लगभग 80,000 नए एचआईवी संक्रमण के मामले सामने आने और टीबी के कारण 9,000 से अधिक मौतें होने की आशंका है. यूरोपीय रोग निवारण एवं नियंत्रण केंद्र (ईसीडीसी) की निदेशक पामेला रेंडी-वैगनर ने यह जानकारी दी है. गत 21 मई को ईसीडीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2024 में यूरोप में एक दशक से ज़्यादा समय में यौन संचारित संक्रमणों की सबसे ज़्यादा दरें देखी गईं, जिसमें सिफलिस और गोनोरिया शामिल हैं. बुधवार को रेंडी-वैगनर के हवाले से कहा, कि हम यूरोप में आने वाले तीन सालों में 80,000 नए एचआईवी संक्रमण और टीबी से 9,000 से ज़्यादा मौतें देखेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि ईयू रेगुलेटर का अनुमान है कि टीबी और यौन संचारित संक्रमणों में तेज़ी से बढ़ोतरी होगी.

दिल्ली अग्निकांड में मौत भी जुदा नहीं कर सकी अफ्रीकी दंपती को

अफ्रीकी दंपती और अग्रवाल परिवार समेत 21 लोगों की दर्दनाक मौत

- बच्चे की उम्मीद और परिवार का साथ, आग में सब धुंधला
- संतान सुख के लिए भारत आए थे अफ्रीकी दंपती

नई दिल्ली, 04 जून. मालवीय नगर के होटल अग्निकांड ने राजधानी में एक ही समय में दो परिवारों की जिंदगी छीन ली. आईवीएफ के लिए भारत आए अफ्रीकी दंपती और गुरुग्राम से दिल्ली आए अग्रवाल परिवार की आठ सदस्यीय जानें धुएं और आग की चपेट में आ गईं.

दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार को हुई भीषण होटल आग ने दो परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. अफ्रीकी दंपती बच्चे की उम्मीद लेकर भारत आए थे. वे आईवीएफ प्रक्रिया के लिए दिल्ली में थे और पास के होटल में ठहरे थे. आग लगने के दौरान दंपती ने अंतिम सांस एक-दूसरे की बाहों में ली. बाथरूम में फंसे दोनों को बचाने की कोशिश नाकाम रही.

इसी बीच, गुरुग्राम से दिल्ली आए अग्रवाल परिवार के आठ सदस्य भी होटल में आग की चपेट में आ गए. ये सदस्य 80 वर्षीय राधेश्याम अग्रवाल का इलाज कराने आए थे. मृतकों में राधेश्याम के बेटे विवेक, उनकी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता, बेटियां जीविका और वार्या, और विवेक के मामा अशोक गोयल शामिल हैं. आग लगने के तुरंत बाद विवेक ने रिश्तेदारों को आग की सूचना दी थी, लेकिन इसके बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका. इस हादसे में कुल 21 लोग मारे गए.

अमेरिका का रूस के साथ संबंध बनाए रखना जरूरी

वाशिंटन, 04 जून. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि यूक्रेन में जारी संघर्ष के बावजूद अमेरिका को रूस के साथ संबंध और बातचीत बनाए रखनी चाहिए. श्री रुबियो ने संसद की विदेश मामलों की समिति की सुनवाई में कहा, कम से कम, हमें रूसियों के साथ संबंध और बातचीत जारी रखनी ही होगी.

हमारे द्विपक्षीय संबंधों में ऐसे मुद्दे हैं, जिनका यूक्रेन से कोई लेना-देना नहीं है. अमेरिकी विदेश मंत्री ने विश्वास जताया कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान होने के बाद अमेरिका-रूस संबंध अधिक दोस्ताना और संभालने में आसान हो जाएंगे. उन्होंने बुधवार को दावा किया कि अमेरिका-यूक्रेन संघर्ष पर मध्यस्थता के प्रयासों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है. रुबियो से जब पूछा गया कि क्या मध्यस्थता में ट्रंप प्रशासन फिर से शामिल होने के लिए तैयार है, तो उन्होंने जवाब दिया हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने हालांकि इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका के अब तक के प्रयास 'कम फलदायी' रहे हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री ने हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि यक्रेन में संघर्ष को सुलझाने की बातचीत में अमेरिका 'साफ तौर पर' यूक्रेन के पक्ष में है. उन्होंने समिति से कहा, कि हम उस युद्ध में निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं हैं. हम रूस को हथियार नहीं देते, हम केवल यूक्रेन को हथियार देते हैं. हम यूक्रेन पर प्रतिबंध नहीं लगाते, हम केवल रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए हमने स्पष्ट रूप से एक पक्ष लिया है. श्री रुबियो ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को आवश्यकता सूची (पर्ल) कार्यक्रम के माध्यम से हथियार बेचना जारी रखे हुए है.

महिलाओं, बच्चों के पोषण में विफल सरकार छिपा रही है आंकड़े: खरगे

नई दिल्ली, 04 जून. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया.

श्री खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि देश में प्रत्येक पांच में से एक बच्चा तीव्र कुपोषण का शिकार है. एक-तिहाई बच्चे कम वजन के हैं, छह से 23 माह आयु वर्ग के 84 प्रतिशत से अधिक बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 57 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं. उनका आरोप है कि मोदी सरकार अपनी नाकामियों को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण आंकड़ों को जानबूझकर छिपा रही है. उन्होंने कहा कि

एनएफएचएस-6 के आंकड़ों ने भारतीय जनता पार्टी की अक्षमता को बेनकाब कर दिया है. श्री खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार चुनिंदा आंकड़ों को दबाने, कमजोर वर्गों की उपेक्षा करने, प्रचार के माध्यम से सकारात्मक छवि पेश करने, वास्तविक स्थिति से ध्यान भटकाने तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि बचाने की रणनीति अपनाते हुए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए.

कोलकाता नगर निगम के एक पार्षद ने की जबरन वसूली

कोलकाता, 04 जून. तृणमूल कांग्रेस के नेता और कोलकाता नगर निगम के एक पार्षद को जबरन वसूली और आपराधिक धमकी देने सहित अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के अनुसार, वार्ड संख्या 42 के पार्षद महेश कुमार शर्मा को बड़ाबाजार थाने की एक टीम ने बुधवार को गिरफ्तार किया. मध्य कोलकाता के पोस्ता में कॉटन स्ट्रीट के रहने वाले पार्षद शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन पर इलाके के व्यापारियों और जमीन-मकान का कारोबार करने वाले बिल्डरों से पैसे वसूलने का आरोप है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पार्षद पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो जबरन वसूली, आपराधिक साजिश, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होने और आपराधिक धमकी से जुड़ी हैं. यह गिरफ्तारी कोलकाता नगर निगम में चुने हुए प्रतिनिधियों पर बढ़ती निगरानी के बीच हुई है.

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन महाराणा प्रताप नगर, भोपाल 462011- (म.प्र.) phone:0755-2573444, FAX: 0755-2573418, E- mail:- srmmp.fci@nic.in

ROMP-20016/1/2025-Coord-ROMP /369536 | Date-05.06.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश क्षेत्र में **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल (मध्य प्रदेश) के लिए हर मौसम में चलने वाले, फटने से बचाने वाले सिंथेटिक, सेल्फ-एडहेसिव, मैट लैमिनेटेड, वॉटरप्रूफ और रंग न उड़ने वाले पोस्टरों (इको सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंट विनाइल) की डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग और डिलीवरी के लिए** निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह- उधारकर्ताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया।है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	82642031	संपत्ति के बदले ऋण	23.05.2026	4,31,985.03/-

उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के नाम: 1. बख्शीराम बोदर 2. उषा बख्शीराम

संपत्ति का पता: वह अचल संपत्ति, जिसका मकान आकार 60X55 है, कुल क्षेत्रफल 3300 वर्ग फुट है, जो भूमि सर्वेक्षण संख्या 203, पीएच नं. 27, ग्रामः डोल, तहसीलः धरमपुरी, जिलाः धार, मध्य प्रदेश-454552 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व में विद्यालय, पश्चिम में काशीराम, उत्तर में स्वयं की भूमि, दक्षिण में सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 05.06.2026 **स्थान: मध्यप्रदेश**
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

एल एंड टी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

चेन्नई. औद्योगिक विकास की दिशा में अपनी पहली बड़ी पहल के तहत, मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को अग्रणी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) के साथ तीन परियोजनाएं शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये।

इन परियोजनाओं में 18,600 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। सरकार का लक्ष्य 2036 तक डेढ़ लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करना है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन तीनों परियोजनाओं से 8,200 लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। इस समझौते पर सरकार और कंपनी के अधिकारियों ने यहां राज्य सचिवालय में श्री विजय, उद्योग मंत्री सुश्री कीर्तना, एल एंड टी के प्रबंध निदेशक एस.एन. सुब्रमण्यम और अन्य लोगों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये और उसका आदान-प्रदान किया। इन परियोजनाओं में कांचीपुरम ज़िले में 15,000 करोड़ रुपये के निवेश से अपने सूचना और डेटा केंद्र का विस्तार शामिल है, जिससे 500 नौकरियां मिलेंगी।

इसके अलावा कोयंबटूर में 2,500 करोड़ रुपये के निवेश से इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज़ निर्माण इकाई बनायी जायेगी, जिससे 2,000 नौकरियां मिलने की संभावना है। तिरुवल्लूर ज़िले की कट्टुपल्ली बंदरगाह पर 1,100 करोड़ रुपये के निवेश से एक जहाज़ निर्माण यार्ड बनाया जायेगा.

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति तराना जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्र/ मंडी/निर्माण/2026-27 / 266 | तराना दिनांकः- 02.06.2026

'निविदा आमंत्रण सूचना'

कृषि उपज मंडी समिति तराना द्वारा उपमंडी माकडौन में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रान्सफर (बी.ओ.टी) आधार पर दो प्लेट युक्त तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक 25/06/2026 को 5.30 pm तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल http //mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

सिस्टम टेण्डर क्र.	इलैक्ट्रानिक तौल कांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)	धरोहर राशि रू.	निविदा प्रपत्र की कीमत
2026_MPSAM _511927_1	उपमंडी प्रांगण माकडौन	10 मे.टन एवं 50 में टन (दो प्लेट)	25000/-	33600/-	5000

नोट- निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर जारी किए जाएंगे।

सचिव कृषि उपज मंडी समिति तराना जिला उज्जैन
भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति तराना जिला उज्जैन

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)

Email-apmcnagda@gmail.com / मोबाईल नंबर 9229540999

क्र. / मंडी/ निर्माण / 2026-27 / 127 | नागदा दिनांक 02.06.2026

/ / निविदा आमंत्रण सूचना //

कृषि उपज मंडी समिति नागदा द्वारा ई-बिडिंग / टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रॉन्सफर (बी.ओ.टी.) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक 25/06/2026 को 05.30 PM बजे तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। स्थापित किये जाने वाले तौलकांटा हेतु विवरण अग्रलिखित अनुसार है।

सिस्टम टेण्डर क्र.	इलैक्ट्रानिक तौल कांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)	धरोहर राशि रू.	निविदा प्रपत्र की कीमत
2026_MPSAM _511931_1	नवीन मंडी प्रांगण कृषि उपज मंडी समिति नागदा	10 मे.टन	35000	30000/-	5000

नोट- निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

सचिव कृषि उपज मंडी समिति, नागदा
भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति, नागदा

दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि. (मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँक) जीवन करा समृद्ध!
पंजीकृत कार्यालय : 'कॉसमॉस टॉवर', प्लॉट नं. 6, आईसीएस कॉलोनी, युनिवर्सिटी रोड, गणेशखिण्ड, शिवाजीनगर, पुणे-411007. फोन : 020-67085305

कब्जे की सूचना (नियम ८(१) के तहत) (अचल संपति के लिए)

जब कि, अधोहस्ताक्षरी को कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने **दिनांक 04.02.2026 को डिमांड नोटिस जारी किया,** जिसमें उधारकर्ता को बुलाया गया था **मे. बेस्ट डिल्स्** उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि **₹ 84,78,066.36 (₹ चौरासी लाख अठहत्तर हजार छियासठ और छत्तीस पैसे मात्र) + अतिरिक्त ब्याज, उस पर लगने वाले शुल्क** चुकाने के लिए उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रक्कम अदा करें।

उधारकर्ता पूरी राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, एतद्द्वारा ऋणी और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक 04/06/2026 को सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत **प्रतिकात्मक कब्जा** कर लिया है

ऋणी और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **₹ 84,78,066.36 (₹ चौरासी लाख अठहत्तर हजार छियासठ और छत्तीस पैसे मात्र) + अतिरिक्त ब्याज, उस पर लगने वाले शुल्क के लिए** दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(श्री. मनोज महेशचंद्र अग्रवाल के स्वामित्व में)

श्री. लक्ष्मीलीला टावर के मेज़ानाइन फ्लोर पर स्थित व्यावसायिक युनिट/दुकान नं. MZ-02, प्लॉट नं. 240 (पुराना नं. 7) योजना नं. 31, यातायात मार्ग नं. 6-7, स्नेह नगर, सपना संगीता रोड, इंदौर-452001 के पूर्व भाग पर निर्मित है। इसका कुल क्षेत्रफल 1141 वर्ग फुट/106.04 वर्ग मीटर है (संपत्ति आईडी-1797202308877089)। **सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व की ओर:** प्लॉट, **उत्तर की ओर:** MZ-03, **पश्चिम की ओर:** सामान्य पॅसेज, **दक्षिण की ओर:** आम सड़क।

दिनांक : 04/06/2026
ठिकाण : इंदौर
अधिकृत अधिकारी और सहाय्यक महाप्रबंधक, दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए 07.07.2026 से 09.07.2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
179556434	लोकेश भाम्बी	नीमच ग्रामीण
179665233	राजू सिंगाडे	खरगोन ग्रामीण
175692893	सुशील कुमार मीना	नागदा ग्रामीण
182451148	जैनुल आबेदीन	तकीपुरा ग्रामीण
176502190	समीर शेख	सनावद ग्रामीण

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :

1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

एसडी/-
दिनांक: 05.06.2026 **स्थान: मध्यप्रदेश**
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी

ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक

वाराणसी, 4 जून. ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक गुरुवार और शुक्रवार को काशी के ताज होटल में होने जा रही है. इससे पहले ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और यूएई के प्रतिनिधि बुधवार शाम को काशी पहुंच गए. लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मेहमानों का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया. लोक कलाकारों द्वारा करमा, धोबिया एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं. छात्र-छात्राओं ने ब्रिक्स देशों के झंडे लहराकर स्वागत किया. दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल करेंगे. भारत समेत चीन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूएई, ब्राजील और ईरान के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे.

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

ई- निविदा सूचना

निविदा क्रमांक ईएल/टीआरडी/58/2026-27/08
(1) कार्य का नाम : रतलाम मंडल के कुह-नद सेक्शन में दो साल की अवधि के लिए आउटसोर्सिंग द्वारा 2x25 केवी पीएसआई उपकरणों का रखरखाव **अनुमानित लागत :** रु. 59,03,397/- **बयाना राशि :** रु. 1,18,100/- **समापन अवधि :** 24 माह **निविदा दस्तावेज़ की राशि :** शून्य **ऑनलाइन बिडिंग बंद होने की दिनांक एवं समय :** 25.06.2026 को 15:00 बजे **ऑफर की वैधता :** खुलने की तिथि से 60 दिन **वेबसाइट :** www.ireps.gov.in **नोटिस बोर्ड** वरिष्ठ मंडल विद्युत् इंजीनियर, कर्षण वितरण, रतलाम मंडल, पश्चिम रेलवे के कार्यालय के प्रवेश द्वार के सामने V/084

Like us on: facebook.com/WesternRly

नाम परिवर्तन सूचना

एक्स मेन पदमसिह कछावा आर्मी नंबर 2889462M रैंक नायक (Unit -13 RAJRIF) निवासी-ग्राम खांकरी तहसील तराना जिला उज्जैन घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम हेमंतसिह व जन्मतारीख 14.12.2001 दर्ज हैं जो असत्य है तथा मेरी पुत्री का नाम पुनम कुवंर दर्ज हैं जो असत्य है। भविष्य में मेरे पुत्र का नाम हेमंत राजावत (HEMANT RAJAWAT) के नाम से जाना पहचाना जाए जिसकी जन्मतारीख 14.12.2002 की जावे तथा मेरी पुत्री का नाम भविष्य में पूनम राजावत (POONAM RAJAWAT) नाम से जाना व पहचाना जाए। आधार कार्ड व सभी दस्तावेजों में पुत्र का नाम हेमंत राजावत है व जन्म तारीख 14.12.2002 है तथा पुत्री का नाम पूनम राजावत दर्ज है, जो पुर्णतः सत्य है।

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत
के माध्यम से

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र.)

क्रमाक / मण्डी / निर्माण / 2026-27 / 200 | खाचरौद दिनांक 02.06.2026

/ / निविदा आमंत्रण सूचना //

कृषि उपज मंडी समिति खाचरौद द्वारा ई-बिडिंग / टेण्डर कम ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वयं के व्यय पर बिल्ट आपरेट एण्ड ट्रॉन्सफर (बी.ओ.टी.) आधार पर तौलकांटा स्थापना एवं संचालन हेतु वार्षिक प्रीमियम के आधार पर दिनांक 25/06/2026 को 05.30 PM बजे तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। स्थापित किये जाने वाले तौलकांटा हेतु विवरण अग्रलिखित अनुसार है।

सिस्टम टेण्डर क्र.	इलैक्ट्रानिक तौल कांटा स्थापना का स्थान	तौलकांटे की क्षमता	न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम (राशि रू.)	धरोहर राशि रू.	निविदा प्रपत्र की कीमत
2026_MPSAM _511930 1	मण्डी प्रांगण खाचरौद	10 मे.टन	35000	144000	5000

नोट- निविदा के सभी संशोधन ऑनलाईन पोर्टल http://mptenders.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति खाचरौद जिला उज्जैन
भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति खाचरौद जिला उज्जैन

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD
उज्जैन आईबी शाखा: 16, तात्या टोपे मार्ग, दागा सदन, फ्रीगंज, उज्जैन
मांग सूचना

(वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

पंजीकृत डाक द्वारा विज्ञापन
1. मेसर्स श्री हरि भक्ति भण्डार, प्रो. श्रीमती संगीता गुप्ता (प्रोप्रायटरशिप फर्म/ऋणी)
पता: 9, अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) 456001
2. श्रीमती संगीता गुप्ता (प्रोप्रायटर/बंधककर्ता) पति श्री श्याम गुप्ता
पता: 9, अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) 456001
3. श्री श्याम गुप्ता (जमानतदार/बंधककर्ता) पिता श्री राम चंद्र गुप्ता
पता: 9, अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) 456001

विषयः आपके लोन खाते मेसर्स श्री हरि भक्ति भण्डार, खाता क्रं. 6726874880 इंडियन बैंक उज्जैन शाखा के संबंध में।
आपने आपके खाते में एवं आपके खातें में दिनांक **27.05.2026** तक एनपीए **रु. 16,64,473/- (रुपये सोलह लाख चौसठ हजार चार सो तिहत्तर मात्र)** दिनांक **29.05.2026** तक, **दिनांक 30.05.2026** से सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज केसाथ ऋण के पुनर्भुगतान में चूक की है। बैंक ने अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर आपसे दिनांक **29.05.2026** को **16,64,473/- (रुपये सोलह लाख चौसठ हजार चार सो तिहत्तर मात्र)** की बकाया राशि चुकाने का अनुरोध किया। आपको पंजीकृत डाक से भेजा गया नोटिस बिना तामील किए वापस कर दिया गया है।

आपको **16,64,473/- (रुपये सोलह लाख चौसठ हजार चार सो तिहत्तर मात्र)** यथादिनांक **29.05.2026** एवं दिनांक **30.05.2026** से सहमत दर पर लागू ब्याज सहित **60 दिनों** के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया था। ऐसा न करने पर बैंक पर अतिरिक्त ब्याज के साथ इस नोटिस की तारीख से बाध्य होगा यहां नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध सुरक्षा हित को लागू करने के अधिकारों का प्रयोग करें। यह नोटिस सुरक्षित ऋणदाता को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार/उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

ऋणकर्ता/सहऋणी/जमानतदार/संपत्ति स्वामी का ध्यान आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन एवं प्रतिभूति-हित-का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के प्रावधान के तहत उपलब्ध समय में प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने की ओर आकर्षित किया जाता है।

अनुसूची

अनुसूचीसुरक्षित संपत्तियों का विशिष्ट विवरण निम्नानुसार है:-

बंधक संपत्ति

संपत्ति के सभी प्रमुख अंग मकान नं. 9/3, तल मंजिल, अमर सिंह मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन, **क्षेत्रफल 50.21 वर्गमीटर, मालिक: श्री श्याम गुप्ता पिता रमेशचन्द्र गुप्ता एवं श्रीमती संगीता गुप्ता पति श्याम गुप्ता, चर्तु:सीमा: पूर्व:** साझा उपयोग के लिए हिस्सा, **पश्चिम:** फूटपाथ फिर अमरसिंह मार्ग, **उत्तर:** लक्ष्मीबाई मुसले का मकान, **दक्षिण:** गली सरकारी

बंधक रखी गई संपत्तियां

फ्रीगंज, उज्जैन (म.प्र.) 456010 में स्थित दुकान में स्टॉक जैसे पूजा सामग्री, दूल्हे के फेशनेबल सामान, नारियल, मुकुट और अन्य संबंधित वस्तुएं। मूल्य: 18.73 लाख (दिनांक 31.08.2019 के स्वीकृती पत्र के अनुसार)

स्थान : उज्जैन, दिनांक : 05.06.2026
प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक